कार्यालय नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर

भव्य नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर द्वारा निम्न व्यवसायिक योजना में भूखण्डों को नीलामी द्वारा 99 वर्षीय लीज होल्ड पर विक्रय किया जावेगा। नीलामी समय प्रातः 10:00 बजे सांय 4:00 बजे तक रहेगा।

क्र. स.	योजना का नाम	भूखण्ड संख्या (व्यवसायिक)	भूखण्ड साइज (मीटर)	न्यूनतम सरकारी बोली प्रति वर्गमीटर	नीलामी दिनांक	नीलामी स्थान
1	विवेकानन्द मार्केट (व्यवसायिक योजना) आकाशवाणी के समीप	कॉम्पलेक्स (कामर्शियल मॉल)	1495.00 वर्गमीटर	18000/–	26.03.2018	कार्यालय नगरविकास न्यास,जटवाडा खुर्द, सवाई माधोपुर

नीलामी की मुख्य शर्ते :–

1. व्यवसायिक भूखण्ड की बोली लगाने से पूर्व कॉम्पलेक्स (कामर्शियल मॉल) के लिए 10,00,000/– धरोहर राशि सचिव नगर विकास न्यास, के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक से नीलामी के दिन दोपहर 12:30 बजे तक जमा करानी होगी।
2. व्यवसायिक भूखण्डों पर 25/–प्रति वर्गमीटर की दर से बीएसयूपी चार्ज देय होगा।
3. नीलामी की बोली 100/– रूपये के गुणक में स्वीकार की जायेगी।
4. नीलामी को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर विकास न्याास सवाई माधोपुर के पास सुरक्षित है।
5. भूखण्ड मौके पर जैसी स्थिति में है उसी स्थिति में नीलाम किया जायेगा व क्षेत्रफल में परिवर्तन हो सकता है।
6. विवेकानन्द मार्केट के व्यवसायिक भूखण्डों की नीलामी 99 वर्षीय लीजहोल्ड/फ्री होल्ड के आधार पर की जा रही है।
7. इस योजना की आरक्षित दर 12100/– रू. प्रति वर्गमीटर है। 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लीज देय होगी। प्रथम तीन वर्ष तक 2.50 प्रतिशत देय होगी। प्रत्येक बेचान एवं 15 वर्षों बाद लीज राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।
8. 8 वर्ष की लीज एक साथ जमा कराने पर 99 वर्ष के लिये लीज मुक्ति एवं 12 वर्ष की एक साथ जमा कराने पर भूखण्ड फ्री होल्ड किया जा सकता है।
9. सफल बोलीदाता को नीलामी कमीशन 1 प्रतिशत व नीलामी राशि की 1/4 राशि बोली स्वीकृति के 72 घण्टे में जमा करानी होगी।
10. भूखण्ड की सम्पूर्ण राशि बिड स्वीकृति की दिनांक से 30 दिन में जमा करानी होगी। उसके पश्चात ब्याज व शास्ति नियमानुसार देय होगी।
11. बोली स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष नगर विकास न्यास स.मा.को प्राप्त है, तथा उनकी स्वीकृति के पश्चात् निर्धारित अवधि में राशि जमा करानी होगी।
12. अमानत स्वरूप जमा किया गया ड्रॉफ्ट/पे–ऑर्डर/नगद नीलामी बोली की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न होने के बाद ही लौटाया जायेगा।
13. प्रथम बोली न्यूनतम दर से अधिक होगी। नीलामी नियमानुसार करवाने के अधिकार मौके की नीलामी समिति को होगा।
14. भूखण्ड की लीजडीड न्यास से करवाकर उप पंजीयक कार्यालय में स्वयं के खर्चे पर पंजीकृत करवानी होगी।
15. तीन वर्ष में निर्माण करना होगा।
16. न्यास से स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण भवन विनिमयों के अनुसार करना होगा।
17. न्यास की बिना स्वीकृति भूखण्ड का बेचान नहीं किया जा सकेगा।
18. राजस्थान नगर विकास न्यास भूमि निस्तारण नियम 1974 के प्रावधान लागू होंगे एवं राज्य सरकार द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले सभी आदेश व शर्तें लागू होंगी।
19. विवादित स्थिति में क्षेत्राधिकार सवाई माधोपुर रहेगा।
20. प्रश्नगत भूखण्ड हेतु मानक बीएआर 2.00 होगा। उक्त निर्धारित बीएआर से अधिक बी.ए.बार प्रस्तावित होने की स्थिति में नियमानुसार बेटरमेंट लेवी देय होगी।
21. प्रश्नगत भूखण्ड पर एकीकृत भवन विनियम 2017 के प्रावधान अनुसार अधिकतम ऊँचाई 36 मीटर अनुज्ञेय होगी।
22. प्रश्नगत भूखण्ड पर अधिकतक भू आच्छादन सेटबैक क्षैत्र के अंदर अनुज्ञेय होगा।
23. प्रश्नगत भूखण्ड पर फ्रंट सेटबैक 9 मीटर होगा। भवन की प्रस्तावित ऊचॉई 15 मीटर तक होने की स्थिति में पार्श्व व पृष्ठ सेटबैक न्यूनतम 4.5 मीटर रखे जाने होगें व भवन की प्रस्तावित ऊॅचाई 15 मीटर से अधिक होने की स्थिति में पार्श्व व पृष्ठ सेटबैक न्यूनतम 6 मीटर अथवा भवन की प्रस्तावित ऊॅचाई का 1/4 जो भी अधिक हो रखा जाना अनिवार्य होगा।
24. नीलामी से विक्रय किये गये भूखण्ड का किसी भी अन्य प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने पर नीलामी से 5 वर्ष की अवधि के पश्चात् भू–उपयोग परिवर्तन के प्रचलित नियमों के प्रावधानानुसार निर्धारित राशि ली जाकर भू–उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है।